सं0 85/उ-तीस(2)/05-2(09पे0)/2006

प्रेषक,

कुँवर सिंह,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक
उत्तरांचल पेयजल निगम
देहरादून।

पेयजल अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 30 जनवरी, 2006

विषयः-वित्तीय वर्ष 2005-06 में नगरीय पेयजल योजनान्तर्गत जनपद देहरादून की दीपनगर पुनर्गठन पेयजल योजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 1592/अप्रेजल-देहरादून/ दिनांक 07.12.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर की नगरीय पेयजल योजनान्तर्गत जनपद देहरादून की दीपनगर पुनर्गठन पेयजल योजना के रू0 518.50 लाख के आगणन के परीक्षणोपरान्त टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई रू0 452.78 लाख (रू0 चार करोड़ बावन लाख अठत्तर हजार मात्र) की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 में व्यय हेतु रू0 25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) एक मुश्त प्राविधान में कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5)कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताऐं तकनीकि दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के

क्रमशः...2

अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल की भली-भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें एवं निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप ही कार्य किया जाये।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है उसी मद पर व्यय किया जाय तथा एक मद की राशि, दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(8) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

2- स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक उत्तरांचल पेयजल निगम के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके, आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी तथा आहरण से सम्बन्धित वाउचर संख्या व दिनांक की सूचना महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून तथा शासन को तुरन्त उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- स्वीकृत धनराशि जिन निर्माण कार्यों पर व्यय की जायेगी उन कार्यों की लागत के सापेक्ष उ0प्र0 शासन की वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-87(1) दस-97-17 (4)/75 दिनांक 27.02.1997 के अनुसार 12.5 प्रतिशत की धनराशि ही सैंटेज चार्जेज के रूप में अनुमन्य होगी। धनराशि व्यय करने से पूर्व मुख्य महाप्रबन्धक यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि अमुक कार्यों पर पूर्व में व्यय की गयी धनराशि को समायोजित करते हुए सैंटेज चार्जेज किसी भी दशा में 12.5 प्रतिशत से अधिक व्यय नहीं होगा। कृपया इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कर लें।

4- स्वीकृत धनराशि का आवंटन/व्यय की सूचना शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करा दी जाय। इसके अतिरिक्त कार्यों की मासिक/त्रैमासिक वित्तीय/भौतिक प्रगति यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय। स्वीकृत धनरशि ऐसी योजनाओं पर कदापि व्यय न की जाय जिनके सम्बन्ध में तकनीकी स्वीकृति न हो अथवा जो विवादग्रस्त है। धन का उपयोग उन्हीं कार्यों पर किया जाय जिनके लिये स्वीकृति दी जा रही है ।

5- कार्य की गुणवत्ता एंव समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2006 तक कर लिया जाय। तदोपरान्त वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही योजना पर आगामी किश्त की धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

7- व्यय करने के पूर्व बजट मेनुअल फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों, टेण्डर एंव अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्यक प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों पर व्यय करने से पूर्व आगणनों पर सक्षम

अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7— उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005—06 में अनुदान सं0—13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2215—जलपूर्ति तथा सफाई—01—जलपूर्ति—आयोजनागत—101—शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम—05— नगरीय पेयजल—01— नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए अनुदान—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा ।

8— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0—111/XXVII (2)/2006 दिनांक 27 जनवरी 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या— 85 /उ0तीस(2)/05—2(09पे0)/2006,तद दिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— महालेखाकार, उत्तरांचल,देहरादून।
2— मण्डलायुक्त, कुमॉयू ।
3— जिलाधिकारी,देहरादून।
4— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5— मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून।
6— स्टाफ ऑफिसर—मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
7— वित्त अनुभाग—2/वित्तबजट सेल/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन
8— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तरांचल ।
9— निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
10— निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर,देहरादून।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
अनु सचिव